05

10698
16.12.15

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कबीरधाम

कार्यालय कलेक्टर, कबीरधाम
शाखा प्रभारी DIO NIC
15 DEC 2015
अधीक्षक, जिला कार्यालय, कबीरधाम
कलेक्टर, कबीरधाम

क/ 2531 /आजाक/योजना/2015–16 कबीरधाम दिनांक 10/12/2015

प्रति,

कलेक्टर
जिला कबीरधाम

विषय– जिले के शासकीय वेबसाईट के अद्यतन किये जाने हेतु आवश्यक डाटा उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क./884/एन.आई.सी./वेब./2015 कबीरधाम दिनांक 04.12.2015

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र परिपालन में जिले के शासकीय वेबसाईट के अद्यतन किये जाने हेतु विभाग का actd.kabeerdham@nic.in कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कबीरधाम, 07741–233153 एवं विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्न कर आपकी ओर सादर सम्प्रेषित।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कबीरधाम

विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

1–पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तिः–

विभाग द्वारा कालेज स्तर के अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्रों को जिनके पालक की आय सीमा 2 लाख हो तथा पिछडा वर्ग के लिए आय सीमा 1 लाख तक आय वाले पालकों के छात्रों को छात्रवृत्ति ऑनलाईन के माध्यम से छात्रों के बैंक खाते में अंतरण किया जाता है।

2– अल्प संख्यक छात्रवृत्तिः–

अल्प संख्यक वर्ग (मुस्लिम,सिक्ख,ईसाई,बौद्ध,पारसी एवं जैन) के कक्षा 01 से कालेज स्तर के विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर में 1000.00 माध्यमिक स्तर में 5000.00 एवं हाईस्कूल स्तर से कालेज तक ऑनलाईन के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में अंतरण किया जाता है।

3– आश्रम/छात्रावास की सुविधाः–

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के गरीब परिवार के बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए कक्षा 1ली से 8वीं तक आश्रम सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब छात्र/छात्राओं को कक्षा 6वी से 10वीं तक छात्रावास सुविधा उपलब्ध करायी जाती है तथा रू 850.00 प्रतिमाह शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है। उक्त योजना में निःशुल्क आवास,भोजन,बिजली,पानी आदि की सुविधा दी जाती है, इस योजना अंतर्गत जिले में 40 आश्रम तथा 50 छात्रावास एवं 1 कन्या शिक्षा परिसर संचालित है।

4– मैट्रिकोत्तर छात्रावास सुविधाः–

स्नातक के छात्र/छात्राओं को मैट्रिकोत्तर छात्रावास में निःशुल्क आवास , पेयजल, बिजली, पलंग एवं बर्तन आदि की सुविधा दी जाती है साथ ही छात्र/छात्राओं को छात्रावासी दर पर छात्रवृत्ति दी जाती है। जिले में 08 छात्रावास संचालित है।

5–छात्रगृह योजनाः–

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के बच्चे जिन्हें मैट्रिकोत्तर छात्रावास में प्रवेश नहीं मिल पाता उन्हें 5 या 5 से अधिक छात्रों के समूह को शासन की ओर से निःशुल्क निजी आवास सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से छात्रगृह योजना लागू की गई है। उक्त योजना में छात्रों को छात्रावासी दर पर छात्रवृत्ति दी जाती है।

6–अशासकीय संस्थाओं को अनुदानः–

अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान में लगे हुए अशासकीय संस्थाओं को विभाग द्वारा शत–प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में जिले में 02 अशासकीय संस्थाऐं संचालित की जा रही है।

7–विशेष कोचिंग कार्यक्रमः–

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासी छात्र/छात्राओं के शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु विभाग द्वारा विशेष कोचिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। जो वर्तमान में समस्त छात्रवासों में संचालित किया जा रहा है।

8–जवाहर आदिम जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजनाः–

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को कक्षा 5वीं से 8वीं तक कक्षा 10वीं में जिले में प्रावीण्य सूची स्थान प्राप्त छात्र/छात्राओ को कक्षा 5वीं के छात्र को जिला स्तर पर एवं कक्षा 8वीं तथा कक्षा 10वीं के छात्र/छात्राओं को राज्य स्तर के उत्कृष्ठ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पर निःशुल्क अध्यापन कार्य कराया जाता है।

9–स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजनाः–

विभाग द्वारा जिले में संचालित छात्रावास/आश्रम शालाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित नहीं हो उन संस्थाओं में निजी चिकित्सकों को अनुबंधित कर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है।

10– निःशुल्क पीईटी/पीएमटी प्रशिक्षणः–

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को बेहतर गुणवत्ता वाले इंजीनियर/मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से वर्ष 2010–11 से योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को राज्य के अशासकीय संस्थाओं में निःशुल्क पीईटी/पीएमटी कोचिंग कराया जाता है।

11–वाहन चालक प्रशिक्षणः–

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले शिक्षित बेरोजगार युवकों को निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण दिया जाता है प्रशिक्षण प्राप्त कर बेरोजगार युवक रोजगार प्राप्त कर सुखी जीवनयापन कर रहे है।

12–आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायताः–

अनुसूचित जनजाति वर्ग के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में निवासरत आदिवासियों की पहचान उनकी संस्कृति है, इस संस्कृति के अंतर्गत उनकी विशिष्ट वेशभूषा नृत्य, वाद्ययंत्र उनके धार्मिक पूजा पद्यति रिवाज को बनाये रखने के लिए विभाग से आदिवासी सांस्कृतिक दलों को 10000.00 अनुदान दिया जाता है।

13–आदिवासी सांस्कृति का परिरक्षण एवं विकास (देवगुढ़ी) :–

इस योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति के पूजा स्थलों (देवगुढ़ी) के विकास एवं परिरक्षण हेतु शासन से 50000.00 अनुदान दिया जाता है।

14–आर्थिक सहायताः–

1–आकस्मिकता योजना– अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों को सवर्ण द्वारा उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार, शारीरिक आघात, संपत्ति हानि किये जाने पर विभाग द्वारा पीड़ीत को तत्काल निर्धारित सहायता राशि प्रदान की जाती है।

2–अंतरजातीय विवाह – अस्पृश्यता उन्मूलन के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के युवक /युवती से किसी स्वर्ण युवक/युवती द्वारा विवाह करने पर दम्पत्ति को राशि रू. 50000.00 नगद एवं प्रसस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है।

15–क्षेत्रीय विकास/निर्माण योजनाः–

(अ) प्राधिकरण– विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति ग्रामों के उत्थान हेतु विभाग द्वारा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण/बस्तर विकास प्राधिकरण/सरगुजा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत निर्माण कार्य स्वीकृत किया जाकर ग्रामों का सर्वांगिण विकास किया जाता है।

(ब) बैगा विकास अभिकरण– जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति(बैगा) के उत्थान एवं विकास हेतु शासन द्वारा कार्ययोजना तैयार किया जाकर निर्माण कार्य से ग्रामों का विकास एवं कौशल विकास में प्रशिक्षण देकर बैगा जनजाति कों आत्मनिर्भर किया जा रहा है।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास,कबीरधाम